न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 24/2017 (225 आरटीए) चूनसिंह बनाम बाबूसिह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00126)

चूनसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति पुरोहित निवासी थोब, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 बाबूसिह पुत्र श्री चौथसिंह,
2 लालसिंह पुत्र श्री चौथसिंह
3 भंवरसिंह पुत्र श्री रानीदानसिंह,
4 मथुरा कंवर पत्नी श्री रानीदानसिंह,
5 हेमसिंह पुत्र श्री देवीदानसिंह,
6 भोपालसिह पुत्र श्री देवीदानसिह जातियान पुरोहित निवासीगण थोब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 27.12.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 333/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित।
3 रेस्पो. सं. 2 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 333/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष रेस्पोडेंट्स एक वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

24/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम 1955 के तहत का प्रार्थना पत्र सं. 333/2016 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स व अपीलांट की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 1573 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि बाके ग्राम थोब तहसील ओसियां में आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेंट्स का सयुक्त रूप से 13/14 हिस्सा तथा अपीलांट का 1/14 हिस्सा है। उसी अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। दिनांक 20.12.2016 को अपीलांट मौके पर आया और मौके पर कीमती जमीन का नाप चौक करने लगा तथा पत्थर डालकर मकान बनाने लगा व अतिक्रमण करना चाहा, जिसका बिना विभाजन कराये निर्माण करने से मना किया तो जबरदस्ती करने लगा, जिस पर दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2016 को कि विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया व पत्रावली दिनांक 31.01.2017 को नोटिस जारी करते हुए नियत की गई। बाद तामील अपीलांट/अप्रार्थी उपस्थित हुआ तथा दिनांक 16.01.2017 को ही जबाब प्रस्तुत कर दिया तथा बहस हेतु निवेदन किया व पत्रावली का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लंबित रखते हुए दिनांक 14.03.2017 को मुकर्रर की है तथा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये बिना ही एक पक्षीय बहस सुनते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जो आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश जारी किये जाने के पश्चात संहिता के प्रावधानों की पालना किये बगैर आदेश पारित किया है जो आदेश 39 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भी अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधि के सिद्धांत कि सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विधि के सिद्धांत की अनदेखी करते हुए आलोच्य आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

किया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा दिनांक 16.01.2017 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। तथा जवाब में अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा खसरा नं. 1573 में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा रहा है। उसके द्वारा निर्माण खसरा नं. 1572 में किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय जानबूझ कर प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहता है जिस कारण मजबूरन अपीलांट को अपील करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने के कारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है। रेस्पोडेंट्स द्वारा बदनियती पूर्ण दावा प्रस्तुत किया है जिसमें जानबूझकर अपीलांट को जानबूझकर परेशान करने की नियत से दावा प्रस्तुत किया है। उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय आदेश है जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई के पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2017 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 सी.पी.सी. की नियमों की पालना नहीं करते हुए, पत्रावली को लंबित रखा जा रहा है। जिसके संबंध में जब अपीलांट द्वारा आर्डरशीट की नकल दिनांक 01.03.2017 को प्राप्त की तथा जिसको पढ़ा तो जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बदनियत पूर्ण तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है जिस कारण अपीलांट को आलोच्य आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। दिनांक 01.03.2017 को नकलें प्राप्त करने के बाद कार्यवाही की जानकारी हुई व इस दिनांक से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अपील को प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स व अप्रार्थी/अपीलांट तथा अन्य प्रतिवादीगण अपने– अपने हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में दिनांक 20.112. 2016 को अप्रार्थी सं. 1 ने वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाए बिना सहखातेदारों की सहमति लिए तथा बिना संपरिवर्तन कराये वादग्रस्त भूमि में अच्छी कीमती भूमि पर पत्थर खण्डे डालकर नीवें खोदकर पक्का निर्माण करके अतिक्रमण करना चाहा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 को बिना विभाजन करवाये निर्माण करने से मना किया तब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बेदखल करके निर्माण करके कब्जा करने की धमकी दी इसलिए

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खिलाफ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है जिसके प्रत्येक इंच–इंच पर व प्रत्येक खातेदार का समान अधिकार है। जिसका बिना विभाजन करवाये किसी भी खातेदार को अन्य सहखातेदारों की बिना सहमति के विशेष भू–भाग पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं हैं। और न ही वादग्रस्त भूमि की किस्म संपरितर्वन करवाये निर्माण करने का कोई अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसका बिना विभाजन करवाए, अच्छी कीमती उपजाउ भूमि पर यदि अप्रार्थी सं. 1 ने निर्माण करके कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नहीं की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गई कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण परिस्थितियों के मध्य नजर, प्रथम दृष्टया मामला होने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। इस अंतरिम ओदश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपील की मैरिट पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स सहखातेदार दार हैं मौके पर बिना विभाजन के निर्माण नहीं किया जा सकता है। अतः वाद के निस्तारण तक मौके पर निर्माण नहीं करने व मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने का आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 प्रस्तुत प्रकरण में अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है। धारा–5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय आदेश है जो अपीलार्थी को बिना सुनवाई के पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.01.2017 को ही जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 सी.पी.सी. की नियमों की पालना नहीं करते हुए, पत्रावली को लंबित रखा जा रहा है। जिसके संबंध में जब अपीलांट द्वारा आर्डरशीट की नकल दिनांक 01.03.2017 को प्राप्त की तथा जिसको पढ़ा तो जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बदनियत पूर्ण तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है जिस कारण अपीलांट को आलोच्य

आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। दिनांक 01.03.2017 को नकलें प्राप्त करने के बाद कार्यवाही की जानकारी हुई व इस दिनांक से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अपील को प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की है अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पोडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है और न ही कोई काउंटर शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

इस प्रकरण में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की आपत्ति यह है कि यह अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। जबकि अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश अवश्य है परंतु इस आदेश के विरुद्ध अपील मैंटेनेबल है। अतः इस प्रकरण में अपील मैंटेनेबल है या नहीं इस पर सर्वप्रथम विचार किया जाना है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल प्रसाद व अन्य के मामले में दिनांक 12.03.2014 को निगरानी एल.आर. नं. 9867/नागौर 2012 में निर्णय दिनांक 12.03.2014 में अंतरिम आदेश की अपील मैंटेनेबल है या नहीं विस्तृत गाईड लाईन जारी की है। गाईड लाइन के पैरा नं. 78 अपीलांट्स कोर्ट के लिए गाईड लाइन के बिंदु सं. 2 में स्पष्ट किया है कि ऐसे अंतरिम आदेश जो आदेश 39 नियम 3 व 3ए सी. पी.सी. की पूर्ण पालना करते हुए पारित किया गया है उस अंतरिम आदेश की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार अपीलांट कोर्ट को नहीं हैं। इस प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 व 3ए की पालना नहीं की गई है। अतः अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में मैंटेनेबल होना पाई जाती है।

9 पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 27.12.2016 को जारी किया गया। जिसको लंबी अवधि उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम रूप से निर्णित नहीं किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि 30 दिवस की अवधि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिए था। यदि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई जाती है तो स्पष्ट कारणों का अंकन किया जावे। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 16.01.2017, 31.01.2017, 07.02.2017 व 14.03.2017 को सुनवाई में रखने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पर को निर्णित नहीं किया है और न ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे

नहीं बढ़ाने का उल्लेख किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिवस में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित करें एवं आदेश 39 नियम 3ए सी.पी.सी. की पालना करें अन्यथा 30 दिन की अवधि के पश्चात अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 27.12.2016 स्वतः निष्प्रभावी समझा जावेगा।

24/X/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/X/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर